प्रश्न सं. [क्र. 3118]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3118, सदस्य श्री संजय शुक्ला

सदन दिनांक 22.07.2019

परिशिष्ट

(अ) मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान

योजना का नाम		मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना (केवल किसान पुत्री/पुत्र के लिए)	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
परियोजना लागत		10 लाख से 2 करोड़ (उद्योग एवं सेवा की परियोजना हेतु)	50 हजार से 2 करोड़ (उद्योग,सेवा एवं व्यवसाय की परियोजना हेतु, कृषि आधारित परियोजना को प्राथमिकता)	50 हजार से 10 लाख (उद्योग,सेवा एवं व्यवसाय की परियोजना हेतु)
पात्रता	आयु	18 से 40 वर्ष	18 से 45 वर्ष	18 से 45 वर्ष
	शैक्षाणिक योग्यता	10 वीं	10 वीं	5 वीं
	आय-सीमा/ श्रेणी	कोई बंधन नहीं परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए तथा आवेदक स्वयं आयकर दाता ना हो। (Start-ups को आय-सीमा के प्रावधान से छूट है)		
वित्तीय सहायता	मार्जिनमनी अनुदान	(अ) परियोजना के पूँजीगत लागत का 15% (अधिकतम रूपये 12 लाख) । (ब) BPL हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 20% (अधिकतम रूपये 18 लाख)।	**1/ रूपये 10 लाख या अधिक की परियोजना के लिए:-** (अ). परियोजना के पूँजीगत लागत का 15% (अधिकतम रूपये 12 लाख)। (ब). BPL हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 20% (अधिकतम रूपये 18 लाख)। **2/ रूपये 10 लाख से कम की परियोजनाओं के लिए:-** (अ). परियोजना लागत का 15% (अधिकतम रू. 1 लाख)। (ब). BPL/SC/ST/OBC/ Woman/ Minorities /Disabled हेतु परियोजना लागत का 30% (अधिकतम रू. 2 लाख)। (स) अतिरिक्त प्रावधान- (i) Denotified Tribes को परियोजना लागत का 30% (अधिकतम रु. 3 लाख) (ii) भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20% (अधिकतम रू. 1 लाख) की पात्रता है ।	(अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15% (अधिकतम रू. 1 लाख)। (ब) BPL/SC/ST/OBC/ Woman/Minorities/Disabled हेतु परियोजना लागत का 30% (अधिकतम रू. 2 लाख)। (स) अतिरिक्त प्रावधान- (i) Denotified Tribes को परियोजना लागत का 30% (अधिकतम रु. 3 लाख) । (ii) भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20% (अधिकतम रू. 1 लाख) की पात्रता है ।
	ब्याज अनुदान	पूंजीगत लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक । (अधिकतम रू. 5 लाख प्रतिवर्ष)	(1) रूपये 10 लाख या अधिक की परियोजना के लिए पूंजीगत लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक । (अधिकतम रू. 5 लाख प्रतिवर्ष) (2) रूपये 10 लाख से कम की परियोजना के लिए परियोजना लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक । (अधिकतम रू. 25,000 प्रतिवर्ष)	परियोजना लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक । (अधिकतम रू. 25,000 प्रतिवर्ष)
	गारंटी फीस	प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ।	प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ।	प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ।

(ब) भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्रता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान :-

पात्र हितग्राही :- विनिर्माण क्षेत्र के लिये 10 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना लागत के लिए आवेदक न्यूनतम 8 वीं क़क्षा उत्तीर्ण होना जरुरी है । आवेदक को 10 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बैंक ऋण की पहली किश्त जारी की जायेगी।

वित्तीय सहायत :- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकेगा। सामान्य वर्ग के आवेदक को 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा करना होगा और शहरी क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत सब्सिडी (मार्जिन मनी) प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार (अजा/अजजा/अपिव/ अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग और पूर्वोत्तर, पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रो सहित) आवेदकों को 5 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करनी होगी और शहरी क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

11-7-19
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
लघु एवं मध्यम उद्योग वि...